षोडश बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-20 मंगलवार, दिनांक- 28 मार्च, 2017 ई० ।

माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.40 बजे अप० तक ।

[1] अन्य चर्चा :-

"प्रश्न काल प्रारम्भ होते ही माननीय नेता, विरोधी दल श्री प्रेम कुमार द्वारा राज्य की राजधानी पटना में शिक्षकों एवं महिलाओं पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज का मुद्दा उठाया गया तथा विपक्ष के माननीय सदस्यगण शोरगुल करते हुए वेल में आ गए ।

आसन से कहा गया कि यह मामला गम्भीर है और सत्र चल रहा है इसलिए सरकार को इस विषय पर वक्तव्य देना चाहिए ।

माननीय प्रभारी मंत्री, गृह विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा कहा गया कि आज ही भोजनावकाश के बाद इस विषय पर सरकार की ओर से वक्तव्य दिया जाएगा ।"

[2] प्रश्नोत्तर काल :-

(i) 02 अल्प सूचित प्रश्न उत्तरित ।

(ii) 21 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।

(iii) 01 तारांकित प्रश्न संख्या-ख-2364, राजस्व एवं भूमि सुधार / पंचायती राज विभाग में स्थानान्तरित ।

(iv) 02 तारांकित प्रश्न अपृष्ठ ।

(v) 120 तारांकित प्रश्न अनागत ।

[3] कार्य स्थगन :-

माननीय सदस्य, श्री मिथिलेश तिवारी, श्री विजय कुमार खेमका, श्री केदार प्रसाद गुप्ता, श्री राणा रणधीर, श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, श्री विद्या सागर केशरी, श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव, श्री ललन पासवान, श्री जिवेश कुमार, श्री विनोद कुमार सिंह एवं श्री अरूण कुमार सिन्हा से प्राप्त कार्य स्थगन सूचना के नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा अमान्य किए जाने की घोषणा की गई ।

[4] शून्यकाल :-

शून्यकाल की सूचनान्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया :-

(1) श्री सुधीर कुमार उर्फ बन्टी चौधरी
(2) श्री फैसल रहमान
(3) श्री अमित कुमार
(4) श्री मो० नवाज आलम
(5) श्री विजय कुमार सिन्हा
(6) श्री मो० नेमतुल्लाह
(7) श्री विनोद प्रसाद यादव
(8) श्री राजेश कुमार
(9) श्री शमीम अहमद
(10) श्री ललन पासवान
(11) श्री अचमित ऋषिदेव
(12) श्री मुन्द्रिका सिंह यादव
(13) श्री बिरेन्द्र कुमार सिन्हा
(14) श्री समीर कुमार महासेठ
(15) श्रीमती भागीरथी देवी
(16) श्री रत्नेश सादा
(17) श्री राणा रणधीर
(18) श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव
(19) श्री महबूब आलम
(20) श्री सुदामा प्रसाद
(21) श्री सत्यदेव राम
(22) श्री जिवेश कुमार
(23) श्री नीरज कुमार
(24) श्री प्रहलाद यादव
(25) श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह
(26) श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव
(27) श्री प्रमोद कुमार
(28) श्री तारकिशोर प्रसाद
(29) श्रीमती बेबी कुमारी
(30) श्री विनोद कुमार सिंह
(31) श्री यदुवंश कुमार यादव
(32) श्री नन्द कुमार राय
(33) श्री विजय कुमार खेमका
(34) श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह
(35) श्री राजेन्द्र कुमार
(36) श्री लाल बाबू राम
(37) श्री सरोज यादव
(38) श्री नीरज कुमार सिंह
(39) श्री केदार प्रसाद गुप्ता
(40) श्री विद्यासागर केशरी
(41) श्री मिथिलेश तिवारी
(42) श्री महेश्वर प्रसाद यादव
(43) डा० सी०एन० गुप्ता
(44) श्री अनिल सिंह
(45) श्री अरूण कुमार सिन्हा

[5] ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :-

(i) माननीय सदस्य, श्री निरंजन कुमार मेहता एवं अन्य सभासदों का शिक्षा विभाग से संबंधित तथा दिनांक-25.03.2017 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर माननीय प्रभारी मंत्री, श्री महेश्वर हजारी द्वारा दिया गया ।

(ii) माननीय सदस्य, श्री रामदेव राय का शिक्षा विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय प्रभारी मंत्री श्री महेश्वर हजारी द्वारा इसके उत्तर के लिए समय लिया गया ।

(iii) माननीय सदस्य, श्री जितेन्द्र कुमार का सहकारिता विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय प्रभारी मंत्री, सहकारिता विभाग, श्री आलोक मेहता द्वारा इसका उत्तर दिया गया ।

[6] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

[1] माननीय सभापति, बिहार विरासत विकास समिति, श्री विनोद प्रसाद यादव द्वारा समिति का प्रथम प्रतिवेदन सभा मेज पर रखा गया ।

तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई ।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अप० से 04.28 बजे अप० तक)

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

[7] वित्तीय कार्य :- वित्तीय वर्ष 1981-82, 1983-84, 1987-88, 1991-92, 1996-97, 1997-98, 2003-04, 2005-06 एवं 2014-15 के अधिकाई व्यय विवरणी का उपस्थापन :-

वित्त विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री, श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी द्वारा बारी-बारी से अधिकाई व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदान की माँग को सदन में प्रस्तुत किया गया, जो क्रमशः सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

[8] विधायी कार्य :- राजकीय (वित्तीय) विधेयक :-

बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2017 :-

माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति उपरान्त खण्डशः विचार के क्रम में बारी-बारी से सभी खण्ड विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । विधेयक के स्वीकृति के प्रस्ताव पर वाद-विवाद में निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) मो० इलियास हुसैन

(माननीय अध्यासी सदस्य श्री (डा०) अशोक कुमार ने आसन ग्रहण किया)

(2) श्री राघव शरण पाण्डेय

(3) श्री रामसेवक सिंह

(4) श्री रामदेव राय

(5) श्रीमती (डा०) रंजु गीता

(6) श्री विनोद कुमार सिंह

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

तत्पश्चात् सरकार की ओर से माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी द्वारा वाद-विवाद का विस्तारपूर्वक उत्तर दिया गया ।

आसन से घोषणा की गई कि सदन के सूचीबद्ध कार्यक्रमों के निस्तारण तक सदन की सहमति से सदन की अवधि विस्तारित की जाती है ।

सरकार के उत्तर से असंतुष्ट होकर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिंगमन कर गए ।

तदोपरान्त् सदन द्वारा विधेयक ध्वनिमत से पारित हुआ ।

[9] सरकार का वक्तव्य :-

पटना में शिक्षकों एवं महिलाओं पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के विषय पर सरकार की ओर से माननीय प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा विस्तारपूर्वक स्थिति स्पष्ट की गई ।

[10] निवेदन :-

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल-43 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेंगे ।

तदुपरांत सभा की बैठक बुधवार, दिनांक-29 मार्च, 2017 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना

दिनांक-28.03.2017

राम श्रेष्ठ राय

सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।